

\*प्रेस नोट\*

\*जनपद – संतकबीरनगर\*

\*दिनांक 26.05.2026\*

**\*थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल \*श्री सर्व दवन सिंह\* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा \*श्री अरविन्द कुमार शर्मा\* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 180/2026 धारा 64(1), 352, 351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता आजाद पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम खुरजहना थाना बखिरा जनपद संतकबीर नगर को आज दिनांक 26.05.2026 को नन्दौर चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 21.05.2026 को थाना बखिरा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ उपरोक्त अभियुक्त द्वारा जबरन दुष्कर्म करने व धमकी देने तथा वादिनी द्वारा उलाहना देने पर अभियुक्त के परिजनों द्वारा गाली व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 26.05.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण\*-** उ0नि0 श्री राजकुमार मिश्रा, हे0का0 मनोज यादव।

**\*“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मार पीट करने व गाली, धमकी देने के मामले में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में चलाए जा रहे \*“ऑपरेशन कन्विक्शन”\* अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 25.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**\*घटना विवरण:-\***

वादी मुकदमा श्री धर्मराज पुत्र नन्दा यादव निवासी भिटवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ने अभियुक्तगण 01. मिठाईलाल पुत्र तीरथ 02. राजमती पत्नी तीरथ 03. सुनील पुत्र तीरथ निवासीगण भिटवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी व वादी के परिजनों को लाठी डन्डा से मारने पीटने व गाली गलौज देने के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री रामवरन पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

**\*सजा विवरण:-\***

एनसीआर नं0 55/2004 धारा 323, 504, 506 भादवि जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण मिठाईलाल, राजमती व सुनील उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 03-03 हजार रुपये (कुल 9000रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 30-30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस\*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*थाना महुली पुलिस\*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*थाना मेंहदावल पुलिस\*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*थाना बखिरा पुलिस\*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*थाना बेलहरकला पुलिस\*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*पीआरवी आफ द डे\***

\*पीआरवी 5998 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भिजवाया गया अस्पताल—\* पीआरवी 5998 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत सेमरा से कालर द्वारा ट्रक को पीछे से टक्कर मार देने से दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.इश्शाद पुत्र इश्तियाक सा0 सतरी कस्बा थाना सतरी जनपद बाराबंकी) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।

**\*पीआरवी स्टाफ-\* हे0का0 शशिभानु मणि त्रिपाठी, का0 नीतिश कुमार सिंह, हो0 गा0 रसीद अहमद।**

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 577 वाहनों से 7,03,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 26.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 577 वाहनों से 7,03,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

**\*थाना महुली द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 01 अदद टीवीएस एक्सएल मोटरसाइकिल के साथ वाँछित 01 बाल अपचारी बालिका को किया गया निरुद्ध\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा \*श्री अभयनाथ मिश्र\* के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष महुली \*श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय\* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 202/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में वाँछित 01 बाल अपचारी बालिका को सिरसिया चौराहे के पास से निरुद्ध किया गया तथा उसकी निशानदेही पर चोरी की टी0वी0एस0 एक्सएल को सुरस देवरिया के पास से बरामद किया गया।

\*घटना का विवरण-\* दिनांक 20.05.2026 को वादी श्री लव सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह निवासी पिपरा, पोस्ट ओनिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर उनके घर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी मोटर साइकिल टी0वी0एस0 एक्स एल0 चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना महुली पर मु0अ0सं0 202/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

\*बरामदगी का विवरण—\* चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल (यूपी 58 एच 5378)।

\*पूछताछ विवरण-\* गिरफ्तार बाल अपचारी बालिका द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि पिपरा थाना क्षेत्र महुली से टीवीएस एसएल को चोरी कर ले गयी थी जिसे सुरस देवरिया के पास में पास में तेल खत्म होने के कारण छोड़ कर सड़क के किनारे चली गयी थी।

\*गिरफ्तारी टीम-\* व0उ0नि0 श्री संजय कुमार, हे0का0 पुष्पा यादव ,का0 अजीत गुप्ता ,का0 विजय गौतम।

**\*मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद \*श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय\* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 26.05.2026 को थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 204/2026 धारा 64(1), 87, 137(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट तथा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त विवेक उर्फ लाला पुत्र पुरुषोत्तम निवासी इनायतपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को सालेहपुर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 16.05.2026 को थाना दुधारा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\* उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह, हे0का0 प्रदीप सिंह विशेन, हे0का0 विनोद कुमार यादव, का0 दीपनारायण शर्मा

**\*मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **\*श्री संदीप कुमार मीना\*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय\*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 26.05.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 296/2026 धारा 64(1), 333, 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त समसुद्धीन उर्फ बच्चा पुत्र साहू उर्फ जैनुल आबदीन निवासी निमावा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को बगहिया औद्योगिक मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 20.05.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\*** निरीक्षक अपराध श्री विरेन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 श्री इल्ताफ खां ।

**\*अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा कोडीन सिरप, जीएसटी (GST) धोखाधड़ी तथा शेयर फ्रॉड के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु विवेचकों की समीक्षा बैठक की गयी आयोजित\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **\*श्री संदीप कुमार मीना\*** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** द्वारा कार्यालय अपर पुलिस अधीक्षक पर क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय\*** की उपस्थिति में कोडीन सिरप, जीएसटी (GST) धोखाधड़ी तथा शेयर फ्रॉड के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु विवेचकों की समीक्षा बैठक की गई । इस दौरान कोडीन सिरप तस्करी से सम्बन्धित अभियोगों, जीएसटी (GST) धोखाधड़ी तथा शेयर फ्रॉड से संबंधित लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा कर विवेचकों को कड़े व आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण जांच सुनिश्चित करते हुए अपराधियों के विरुद्ध त्वरित विधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया साथ ही तय समय-सीमा के भीतर अभियोगों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना मेहंदावल श्री राकेश कुमार सिंह, व0उ0नि0 श्री प्रमोद यादव सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।